



## FCRA कानून एवं वदिशी अंशदान पर नयित्रण

### प्रलिमिन्स के लिये

वदिशी अंशदान (वनिियिमन) अधनियिम (FCRA), 2010

### मेन्स के लिये

वदिशी अंशदान प्राप्त् करने पर प्रतबिंध, वदिशी अंशदान प्राप्त् करने के अन्य वकिल्प

## चर्चा में क्यों?

इस वर्ष 13 गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लाइसेंस को वदिशी अंशदान (वनिियिमन) अधनियिम (FCRA), 2010 के तहत नलिंबति कर दया गया है। गृह मंत्रालय को आदवासी कषेत्रों में FCRA के दायरे में आने वाले कई NGOs के कामकाज के बारे में 'गंभीर प्रतकिल इनपुट' प्राप्त् हुए थे। झारखंड में काम करने वाले कम से कम दो NGOs के लाइसेंस नलिंबति कर दया गए हैं।

## प्रमुख बदि:

### क्या है FCRA?

- FCRA वदिशी अंशदान को नयित्त्रति कर यह सुनश्चिति करता है कि ऐसे अंशदान आंतरकि सुरकषा पर प्रतकिल प्रभाव न डालें।
- वर्ष 1976 में FCRA को पहली बार अधनियिमति कया गया था। वर्ष 2010 में वदिशी अंशदान को वनिियिमति करने के लिये नए उपायों को अपनाने के पश्चात् इसे संशोधति कया गया।
- FCRA वदिशी अंशदान प्राप्त् करने वाले सभी संघों (Associations), समूहों (Groups) और NGOs पर लागू होता है। ऐसे सभी NGOs के लिये FCRA के तहत स्वयं को पंजीकृत करवाना अनविर्य है।
- प्रारंभ में पंजीकरण पाँच वर्ष के लिये वैध होता है, लेकिन सभी मानदंडों का पालन करने पर तत्पश्चात् इसे नवीनीकृत कया जा सकता है।
- पंजीकृत संघ/संगठन सामाजिक, शैकषकि, धारमकि, आर्थकि और सांस्कृतकि उद्देश्यों के लिये वदिशी योगदान प्राप्त् कर सकते हैं।
- वर्ष 2015 में गृह मंत्रालय द्वारा अधसूचिति नियमों के अनुसार, NGOs को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान कया गया, जिसमें यह उल्लेख कया जाना आवश्यक है कि वदिशी धन की स्वीकृता से भारत की संप्रभुता और अखंडता, किसी वदिशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध एवं सांप्रदायकि सद्भाव को प्रतकिल रूप से प्रभावति करने की संभावना नहीं है।
- वदिशी अंशदान प्राप्त् करने वाले सभी NGOs को ऐसे राष्ट्रियकृत या नजी बैंकों में खातों का संचालन करना होगा, जिनके पास वास्तवकि समय के आधार पर सुरकषा एजेंसियों तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिये कोर बैंकिंग सुवधिाएँ हों।

## वदिशी अंशदान प्राप्त् करने पर प्रतबिंध

- वधियकि और राजनीतिक दलों के सदस्य, सरकारी अधकिारी, न्यायाधीश और मीडियाकर्मी आदि को किसी भी प्रकार के वदिशी अंशदान को प्राप्त् करने से प्रतबिंधति कया गया है।
- हालाँकि वर्ष 2017 में वत्ति वधियक के माध्यम से गृह मंत्रालय ने वर्ष 1976 के FCRA कानून में संशोधन कया, जिससे राजनीतिक दलों को एक वदिशी कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी या 50% अथवा उससे अधिक भारतीय शेयरों वाली वदिशी कंपनी से धन प्राप्त् करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रफॉर्मस (ADR), एक सार्वजनिक वकालत समूह, ने वर्ष 2013 में दल्लि उच्च न्यायालय में एक जनहति याचिका दायर की थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कॉन्ग्रेस पर वदिशी धन स्वीकार करके FCRA मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।
- दोनों पक्षों ने वर्ष 2014 में दान को अवैध करार देने वाले उच्च न्यायालय के नरिणय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। बाद में FCRA में भूतलकषी संशोधन के पश्चात् याचिका वापस ले ली गई।

## वदिशी अंशदान प्राप्त् करने के अन्य वकिल्प

- वदिशी योगदान प्राप्त करने का दूसरा तरीका 'पूर्व अनुमति' के लिये आवेदन करना है। यह आवेदन वशिष्ट गतिविधियों या परियोजनाओं को पूरा करने के लिये एक वशिष्ट अंशदानकर्ता से एक वशिष्ट राशि की प्राप्ति के लिये दिया जाता है।
- इसके लिये संघ/संगठन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-25 के तहत पंजीकृत होना चाहिये। राशि और उद्देश्य को नदिष्ट करने वाले वदिशी अंशदानकर्ता से प्रतबिद्धता का एक प्रमाण-पत्र भी आवश्यक है।
- वर्ष 2017 में गृह मंत्रालय ने तंबाकू नयितरण गतिविधियों पर सांसदों के साथ लॉबी करने के लिये 'वदिशी नधियों' का उपयोग करने के आधार पर 'पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया' (PHFI) को FCRA के तहत नलिबति कर दिया। PHFI द्वारा सरकार को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् इसे 'पूर्व अनुमति' श्रेणी में रखा गया था।

## पंजीकरण का नलिंबन/रद्द कया जाना

- गृह मंत्रालय द्वारा खातों के नरीक्षण के दौरान या एक संघ/संगठन के कामकाज के खिलाफ कोई प्रतकूल इनपुट प्राप्त होने पर प्रारंभ में 180 दिनों के लिये FCRA पंजीकरण को नलिबति कया जा सकता है।
- जब तक कोई नरिणय नहीं ले लिया जाता, तब तक संघ/संगठन कोई भी नया अंशदान प्राप्त नहीं कर सकता है। साथ ही वह गृह मंत्रालय की अनुमति के बनिा नामति बैंक खाते में उपलब्ध राशि के 25% से अधिक का उपयोग नहीं कर सकता है।
- गृह मंत्रालय ऐसे संगठन के पंजीकरण को रद्द कर सकता है। पंजीकरण रद्द करने की तारीख से तीन वर्ष तक पंजीकरण या 'पूर्व अनुमति' देने के लिये पात्र नहीं होगा।

## पूर्व में नलिंबन

- गृह मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, उल्लंघन, जैसे- वदिशी अंशदान का दुरुपयोग, अनविर्य वार्षिक रटिरन न जमा करना और अन्य उद्देश्यों के लिये वदिशी फंड का आर्दकारणों से, वर्ष 2011 के पश्चात् से 20,664 संघों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया।
- 11 सतिंबर, 2020 तक 49,843 FCRA-पंजीकृत संघ हैं।

## अंतर्राष्ट्रीय अंशदानकर्ता

- सरकार ने वदिशी अंशदान कर्ताओं, जैसे- अमेरिका स्थति कम्पैशन इंटरनेशनल, फोर्ड फाउंडेशन, वर्ल्ड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी पर भी शकिंजा कसा है।
- अंशदानकर्ताओं को गृह मंत्रालय की मंजूरी के बनिा संघों/संगठनों को धन भेजने से रोकने के लिये 'वॉच लसिट या 'पूर्व अनुमति' श्रेणी में रखा गया है।

## स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/what-is-foreign-contribution-act-and-how-does-it-control-donations>